संख्या-21/2026/बी-2-184/दस-2026-आर-2/2016

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव,
   श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
   विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक 18 अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम त्रैमास तक (अप्रैल, 2026 से जून, 2026 तक) के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं बी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-टी.एम.(सी.)/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/38864, दिनाँक 07 अगस्त, 2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम त्रैमास तक अर्थात् माह अप्रैल, 2026 से जून, 2026 तक के लेखाकिंत प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये दिनाँक 10.08.2026 से 11.09.2026 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम त्रैमास तक (माह अप्रैल, 2026 से जून, 2026 तक) के लेखांकित प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से लेखा मिलान कार्य कराये जाने हेतु संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डी0डी0ओ0 रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी0एम0-4 एवं बी0एम0-13), महालेखाकार कार्यालय के ई-मेल-agaeuttarpradesh1@cag.gov.in एवं फैक्स नम्बर-0532-2420880 (राजकोष प्रकोष्ठ), 0532-2421987 पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध वर्ष 2001-02 से 2025-26 की अवधि में स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में एवं लम्बित ए.सी. बिल के सापेक्ष डी.सी.बिल का प्रेषण तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत दीर्घकालीन अग्रिम (HBA/MCA etc.) के आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान नियमित रूप से कराया जाना सुनिश्चत करें, जिससे नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों एवं ए.सी. बिल का समयोजन भी महालेखाकार कार्यालय में सम्भव हो सके। नियंत्रक अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़े अन्तिम समझे जायेंगे।

................2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
https://shasanadesh.up.gov.in

4- लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखा मिलान कार्य दिनॉक 11.09.2026 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या- 21/2026/बी-2-184(1)/दस-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके संख्या-टी.एम.(सी.)/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/38864, दिनॉक 07 अगस्त, 2026 के सन्दर्भ में।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 21/2026-बी-2-184/दस-2026-आर-2/2016, दिनाँक 18 अगस्त, 2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 से सम्बन्धित माह अप्रैल, 2026 से जून, 2026 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की तिथि
1.	आबकारी	24.08.2026
2.	आवास	
3.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4.	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	
5.	ऊर्जा	
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
7.	रेशन विभाग	
8.	कृषि विभाग	25.08.2026
9.	परती भूमि विकास	
10.	समन्वय विभाग	
11.	कृषि विपणन विभाग	
12.	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13.	ग्राम्य विकास विभाग	
14.	भूगर्भ जल विभाग	
15.	लघु सिंचाई	27.08.2026
16.	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	
17.	पंयायती राज विभाग	
18.	पशुधन विभाग	
19.	दुग्ध विकास विभाग	
20.	मत्स्य विभाग	
21.	सहकारिता विभाग	
22.	कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग	31.08.2026
23.	खाद्य एवं रसद विभाग	
24.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	
25.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग	
26.	गृह (कारागार) विभाग	
27.	गृह (पुलिस) विभाग	
28.	नागरिक सुरक्षा विभाग	
29.	राजनीतिक पेंशन विभाग	01.09.2026
30.	गृह (गोपन) विभाग	
31.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
32.	परिवार कल्याण विभाग	
33.	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी) विभाग	
34.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग	
35.	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	

36.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग	02.09.2026
37.	नगर विकास विभाग	
38.	नगरीय रोजार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	
39.	नागरिक उड्डयन विभाग	
40.	भाषा विभाग	
41.	नियोजन विभाग	
42.	निर्वाचन विभाग	
43.	न्याय विभाग	03.09.2026
44.	परिवहन विभाग	
45.	पर्यावरण विभाग	
46.	पर्यटन विभाग	
47.	प्रशासनिक सुधार विभाग	
48.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	
49.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	
50.	महिला एवं बाल विकास विभाग	07.09.2026
51.	राजस्व विभाग	
52.	सहायता एवं पुनर्वास विभाग	
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	
54.	लोक निर्माण विभाग	
55.	राज्य सम्पत्ति विभाग	
56.	वन विभाग	
57.	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा) विभाग	08.09.2026
58.	विधान परिषद सचिवालय	
59.	विधान सभा सचिवालय	
60.	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग	
61.	वित्त विभाग	
62.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	
63.	बेसिक शिक्षा विभाग	
64.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	09.09.2026
65.	उच्च शिक्षा विभाग	
66.	श्रम विभाग	
67.	सचिवालय प्रशासन विभाग	
68.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	
69.	विकलांग कल्याण विभाग	
70.	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	
71.	समाज कल्याण विभाग	10.09.2026
72.	जनजाति कल्याण विभाग	
73.	सतर्कता विभाग	
74.	सामान्य प्रशासन विभाग	
75.	मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल) विभाग	
76.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	
77.	सूचना विभाग	

78.	संस्थागत वित्त विभाग	11.09.2026
79.	स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग	
80.	मनोरंजन कर विभाग	
81.	सैनिक कल्याण विभाग	
82.	व्यापर कर विभाग	
83.	सांस्कृतिक कार्य विभाग	
84.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	
85.	उक्त सूची के अतिरिक्त कोई विभाग शेष हो अथवा वे विभाग जो निर्धारित तिथि पर लेखा मिलान न करा पाये हों।	11.09.2026